

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 437 OF 2025

IN THE MATTER OF:-

News Item titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-3
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Copy of the letter dated 19.09.2025	4
3.	<u>ANNEXURE-2</u> True copy of letter dated 19.09.2025	5
4.	<u>Annexure-3</u> True copy of letter dated 19.09.2025	6
5.	<u>Annexure-4</u> True copy of letter dated 26.09.2025	7-8
6.	<u>Annexure-5</u> True copy of letter dated 06.10.2025	9-11

**NEW DELHI
DATED: 11.10.2025**



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board


138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI,

ORIGINAL APPLICATION NO. 437 OF 2025



IN THE MATTER OF:-

News Item titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025

RESPONSE/REPLY ON BEHALF OF U.P. POLLUTION
CONTROL BOARD

I, Vikas Mishra, S/o. Shri Ganga Sharan Misra, aged about 45 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater NOIDA, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the deponent is a Regional officer of the respondent of UPPCB, in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear this affidavit.
2. That Hon'ble Tribunal passed order on dated 01.09.2025, relevant portion of said order are reproduced below :-

"...8. Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.



3. That the present affidavit is being filed on behalf of the UPPCB pursuant to the order dated 01.09.2025 passed by Hon'ble Tribunal.
4. That in compliance of Hon'ble Tribunal order, RO, UPPCB, Greater Noida has sent notices vide letter dated 19.09.2025 to M/s SDS Infratech-Led Consortium, NRI commercial complex, GH-04/A, Sector-45, Noida for Plot No FH-01, Village-Haibatpur, Greater Noida to provide Allotment letter, Sanctioned Map, CTE etc. No reply is received till now. Copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**
5. That in compliance of Hon'ble Tribunal order, RO, UPPCB, Greater Noida has sent notices vide letter dated 19.09.2025 to M/s Gaursons India Pvt Ltd, Gaur Big Park, Plot No-1, Abhay Khand-2, Indirapuram Ghaziabad for Plot No FH-02, Village-Haibatpur, Greater Noida to provide Allotment letter, Sanctioned Map, CTE etc. No reply is received till now. Copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**
6. That in compliance of Hon'ble Tribunal order, RO, UPPCB, Greater Noida has sent notices vide letter dated 19.09.2025 to M/s Gaursons Hi-tech Infrastructures, Gaur Big Park, Plot No-1, Abhay Khand-2, Indirapuram Ghaziabad for Plot No FH-03, Village- Haibatpur, Greater Noida to provide Allotment letter, Sanctioned Map, CTE etc. No reply is received till now. Copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3.**



7. That District Magistrate, Gautam Buddha Nagar has sent to letter to Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) for providing information regarding built-up area of each plot allotted by GNIDA and action taken report in said matter. Reply from GNIDA is awaited. Copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as Annexure-4.
8. That RO, UPPCB, Greater Noida has sent reminder notices vide letter dated 06.10.2025 to concerned 03 Projects. No reply are received till now. Copy of the said letters are being enclosed herewith and marked as Annexure-5.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.


DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above noted deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge and belief. No part of the same is false and nothing material has been concealed there form.

VERIFIED ON THIS DAY THE 10th DAY OF OCTOBER, 2025 AT G.B. NAGAR


DEPONENT



ATTESTED
10/10/2025
Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

109
Annexure-1

दिनांक : 19/09/25

सन्दर्भ संख्या :
सेवा में,

762/NUT-91/2025

M/s SDS Infratech-Led Consortium,
NRI Commercial complex,,
Plot No. GH-04/A, Sector-45 Noida,
Gautam Budh Nagar – 201303.

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ओ0ए0 के साथ संलग्न न्यूज पेपर कटिंग में भूखण्ड संख्या FH-01, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar पर फार्म हॉउस बनाये जाने में पर्यावरणीय अधिनियमों का अवहेलना किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित सूचनायें एवं अभिलेख वांछित हैं—

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र।
2. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत स्वीकृत नक्शे की प्रति।
3. राज्य बोर्ड से निर्गत स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0)/संचानार्थ सहमति जल/वायु (सी0टी0ओ0) की प्रति।
4. फार्म हॉउस से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की व्यवस्था का विवरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सी0ए0क्यू0एम0) द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या।
6. उ0प्र0 राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत की प्रति, यदि आवश्यक है।
7. भूखण्ड संख्या FH-01, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar का कुल प्लॉट एरिया एवं बिल्टअप एरिया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचनाये व अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की दशा में परियोजना के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं आपका का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनायें।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

Annexure-2

दिनांक : 19/09/25

सन्दर्भ संख्या :
सेवा में,

76/1/NPT-91/2025

M/s Gaursons Hi-tech Infrastructure,
Gaur Biz Park, Plot No-1,
Abhay Khand II, Indirapuram,
Ghaziabad – 201014.

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437 / 2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437 / 2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ओ0ए0 के साथ संलग्न न्यूज पेपर कटिंग में भूखण्ड संख्या FH-03, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar पर फार्म हॉउस बनाये जाने में पर्यावरणीय अधिनियमों का अवहेलना किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित सूचनायें एवं अभिलेख वांछित हैं—

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र।
2. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत स्वीकृत नक्शे की प्रति।
3. राज्य बोर्ड से निर्गत स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0)/संचानार्थ सहमति जल/वायु (सी0टी0ओ0) की प्रति।
4. फार्म हॉउस से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की व्यवस्था का विवरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सी0ए0क्यू0एम0) द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या।
6. उ0प्र0 राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत की प्रति, यदि आवश्यक है।
7. भूखण्ड संख्या FH-03, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar का कुल प्लाट एरिया एवं बिल्टअप एरिया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचनाये व अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की दशा में परियोजना के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं आपका का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 111

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या :
सेवा में,

760/NPT-91/2025

दिनांक : 19/09/25

M/s Gaur Sons India Pvt Ltd,
Gaur Biz Park, Plot No-1,
Abhay Khand II, Indirapuram,
Ghaziabad – 201014.

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled “CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain” appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled “CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain” appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ओ0ए0 के साथ संलग्न न्यूज पेपर कटिंग में भूखण्ड संख्या FH-02, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar पर फार्म हॉउस बनाये जाने में पर्यावरणीय अधिनियमों का अवहेलना किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित सूचनायें एवं अभिलेख वांछित हैं—

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र।
2. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत स्वीकृत नक्शे की प्रति।
3. राज्य बोर्ड से निर्गत स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0)/संचानार्थ सहमति जल/वायु (सी0टी0ओ0) की प्रति।
4. फार्म हॉउस से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की व्यवस्था का विवरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सी0ए0क्यू0एम0) द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या।
6. उ0प्र0 राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत की प्रति, यदि आवश्यक है।
7. भूखण्ड संख्या FH-02, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar का कुल प्लॉट एरिया एवं बिल्टअप एरिया।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचनायें व अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की दशा में परियोजना के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं आपका का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनायें।

क्षेत्रीय अधिकारी

U
m

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक

707/146T-91/25

दिनांक : 26/9/25

प्रेषक

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 437/2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सम्बन्धी मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अंश निम्नवत् है—

".....1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025.

2. The matter relates to the illegal construction of farmhouses on the Hindon River floodplain permitted by the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA). The article mentions that the area where these farmhouses were allowed to be made is a zone meant for natural conservation. The article further mentions that a CAG audit reveals that GNIDA facilitated the development of farmhouse plots in prohibited areas, leading to environmental and regulatory breaches. The news item states that in 2011 GNIDA launched the 'Institutional Farmhouses' scheme, followed by the 'Krishi Farmhouses' scheme, both in violation of existing rules. As per the article, these schemes, initially intended for temporary structures, gradually transformed into permanent houses, shops, and even polluting workshops.....

5. The Tribunal is also examining the issue of disposal of sewage and encroachment on the flood plains of River Hindon in Ghaziabad in the matter of Shri Krishan Kashyap vs. State of Uttar Pradesh, OA No. 649/2023, which includes demarcation of flood plain zones.

7. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

- i. Greater Noida Industrial Development Authority, through its Chairman, Plot No. 01, Knowledge Park-04, Greater Noida, Gautam Budh Nagar.
- ii. Uttar Pradesh Pollution Control Board, through its Member Secretary, Building. No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
- iii. Central Pollution Control Board, through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi.
- iv. District Magistrate, Gautam Buddha Nagar, National Informatics Centre Collectorate Surajpur, Greater Noida.
- v. National Mission for Clean Ganga, through its Director General, 1st Floor, Major Dhyan Chand National Stadium India Gate, New Delhi.

8. Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

9. List on 14.10.2025 along with OA No. 649/2023.

उ0प्र0 शासन, विधायी अनुभाग-1, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 2164/79-वि-1-20-2(क)/24/2020 दिनांक 28.12.2020 के साथ संलग्न उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या-22 सन् 2020) में स्पष्ट उल्लेख है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा

गया है, कि धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा किदया जायेगा अर्थात:-

इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "स्थानीय प्राधिकरण में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।"


उक्त संशोधन के क्रम में उ०प्र० शासन के राजस्व अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या 1577/एक-1-2020-रा-1 दिनांक 30.12.2020 तथा औद्योगिक विकास अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या 01/77-3-21-48(एग)20 दिनांक 11.01.2021 निर्गत किया गया है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 28.12.2020 में दिये गये प्राविधानो तथा उपबन्धों के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणो द्वारा किया जायेगा।

उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजनाओं का बिल्टअप एरिया 20,000 वर्ग मी० से अधिक होने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता होती है तथा परियोजनाओं का built-up area 5000 sq. mtr. से अधिक होने पर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (CTE/CTO) प्राप्त किया जाना प्राविधानित है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उनके निरीक्षण में Individual Plot का बिल्टअप एरिया 5000 वर्ग मी० से अधिक होने सम्बन्धी आंकलन किया जाना सम्भव नहीं हो सका, जिसपर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अग्रिम कार्यवाही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बिल्टअप एरिया की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित/निर्माणाधीन प्लाट्स के बिल्टअप एरिया के सम्बन्ध में सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु प्राधिकरण स्तर से नियमानुसार कार्यवाही किये जाने एवं कृत कार्यवाही से अद्योहरस्ताक्षरी को अवगत कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त आ०ए० में अगली नियत तिथि दिनांक 14.10.2025 है।


संलग्नक: यथोपरि।


(मेधा रूपम)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:-

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/तददिनांक


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

Annexure-5

सन्दर्भ संख्या :
सेवा में,

015 / 1467-91/25

दिनांक : 6/10/25
अनुस्मारक

M/s SDS Infratech-Led Consortium,
NRI Commercial complex,,
Plot No. GH-04/A, Sector-45 Noida,
Gautam Budh Nagar – 201303.

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 761/एन0जी0टी0-91/2025 दिनांक 19.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, प्रति संलग्न, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में सूचना व अभिलेख चाहे गये थे। उक्त की सूचना इस कार्यालय में अभी तक अप्राप्त है। अग्रेतर उक्त ओ0ए0 के साथ संलग्न न्यूज पेपर कटिंग में भूखण्ड संख्या FH-01, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar पर फार्म हॉउस बनाये जाने में पर्यावरणीय अधिनियमों का अवहेलना किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित सूचनायें एवं अभिलेख वांछित हैं—

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र।
2. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत स्वीकृत नक्शे की प्रति।
3. राज्य बोर्ड से निर्गत स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0)/संचानार्थ सहमति जल/वायु (सी0टी0ओ0) की प्रति।
4. फार्म हॉउस से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की व्यवस्था का विवरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सी0ए0क्यू0एम0) द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या।
6. उ0प्र0 राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत की प्रति, यदि आवश्यक है।
7. भूखण्ड संख्या FH-01, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar का कुल प्लाट एरिया एवं बिल्टअप एरिया।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा है कि उक्त सूचनाये व अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की दशा में परियोजना के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं आपका का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

115

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

दिनांक : 6/10/25

अनुस्मारक

सन्दर्भ संख्या :
सेवा में,

814 / 1467-9/25

M/s Gaursons Hi-tech Infrastructure,
Gaur Biz Park, Plot No-1,
Abhay Khand II, Indirapuram,
Ghaziabad – 201014.

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437 / 2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 761 / एन0जी0टी0-91 / 2025 दिनांक 19.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, प्रति संलग्न, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437 / 2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में सूचना व अभिलेख चाहे गये थे। उक्त की सूचना इस कार्यालय में अभी तक अप्राप्त है। अग्रेतर उक्त ओ0ए0 के साथ संलग्न न्यूज पेपर कटिंग में भूखण्ड संख्या FH-03, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar पर फार्म हॉउस बनाये जाने में पर्यावरणीय अधिनियमों का अवहेलना किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित सूचनायें एवं अभिलेख वांछित हैं-

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र।
2. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत स्वीकृत नक्शे की प्रति।
3. राज्य बोर्ड से निर्गत स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0)/संचानार्थ सहमति जल/वायु (सी0टी0ओ0) की प्रति।
4. फार्म हॉउस से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की व्यवस्था का विवरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सी0ए0क्यू0एम0) द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या।
6. उ0प्र0 राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत की प्रति, यदि आवश्यक है।
7. भूखण्ड संख्या FH-03, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar का कुल प्लॉट एरिया एवं बिल्टअप एरिया।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा है कि उक्त सूचनायें व अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की दशा में परियोजना के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं आपका का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या :
सेवा में,

817 / 146T-91/25

दिनांक : 6/10/25
अनुस्मारक

M/s Gaur Sons India Pvt Ltd,
Gaur Biz Park, Plot No-1,
Abhay Khand II, Indirapuram,
Ghaziabad – 201014.

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 760/एन0जी0टी0-91/2025 दिनांक 19.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, प्रति संलग्न, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 437/2025 News Item Titled "CAG slams Greater Noida for allowing farmhouses on Hindon floodplain" appearing in The Times of India dated 18.08.2025 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में सूचना व अभिलेख चाहे गये थे। उक्त की सूचना इस कार्यालय में अभी तक अप्राप्त है। अग्रेतर उक्त ओ0ए0 के साथ संलग्न न्यूज पेपर कटिंग में भूखण्ड संख्या FH-02, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar पर फार्म हॉउस बनाये जाने में पर्यावरणीय अधिनियमों का अवहेलना किये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित सूचनायें एवं अभिलेख वांछित है-

1. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र।
2. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से निर्गत स्वीकृत नक्शे की प्रति।
3. राज्य बोर्ड से निर्गत स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0)/संचानार्थ सहमति जल/वायु (सी0टी0ओ0) की प्रति।
4. फार्म हॉउस से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण की व्यवस्था का विवरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सी0ए0क्यू0एम0) द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों की अनुपालन आख्या।
6. उ0प्र0 राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत की प्रति, यदि आवश्यक है।
7. भूखण्ड संख्या FH-02, Vill- Haibatpur, Greater Noida West, G.B. Nagar का कुल प्लाट एरिया एवं बिल्टअप एरिया।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा है कि उक्त सूचनायें व अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके, अन्यथा की दशा में परियोजना के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं आपका का होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी